हुक्म तामील नंबर व तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि.सं.– 78/2017
आरसीएमएस :– 2017/00137
दायर तिथि– 06.11.2017
तारीख निर्णय – 07.11.2019

प्रार्थी :–
श्री भूरा पुत्र नवीया
जाति – मीणा
निवासी – बलाना, तहसील–सुमेरपुर, जिला – पाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला–पाली (राज.)।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं सपठित धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 07.11.2019

वकील प्रार्थी एवं सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी।

प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

(1) प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सरहद मौजा बलाना पटवार क्षेत्र बलाना तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 487 रकबा 2.87 हैक्टर किस्म चाही भूमि प्रार्थी के नाम आयी हुई स्थित है, उपरोक्त भूमि गत खसरा नं. 506 मी की किस्म सेटलमेन्ट से पूर्व जवाई नहरी दर्ज रही है, जो जमाबन्दी संवत 2022–25 में दर्ज है तथा वक्त सेटलमेन्ट पुराने खसरा नं. 506 मी से नये बने नये खसरा नं. 487 रकबा 2.87 हैक्टेयर किस्म चाही को सैटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट के कर्मचारियों के द्वारा गत खसरा नम्बर दर्ज करते समय उपरोक्त भूमि की किस्म जवाई नहरी से चाही गलत रूप से दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान रेकर्ड में लगातार चली रही है। उपरोक्त भूमि सेटलमेन्ट के बाद भी जवाई नहर से सिंचित होती आ रही है। प्रतिवर्ष बाराबन्दी में वादी का नाम उक्त खसरा नं. से पानी प्राप्त होने से सिंचित हेतु दर्ज रहा है। लेकिन इस वर्ष की बाराबन्दी में वादी की खातेदारी भूमि का इन्द्राज नहीं किया गया है, जिससे वादी को जवाई नहर से सिंचाई हेतु पानी प्राप्त करने में परेशानी हुई।

(2) कि प्रार्थी की भूमि की किस्म सेटलमेन्ट से पूर्व जवाई नहरी दर्ज रही है तथा सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने भूलवश किस्म जवाई नहरी के स्थान पर किस्म चाही गलत रूप से दर्ज कर दी गयी है , जो किस्म परिवर्तन बिना किसी कारण से की गयी है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि जवाई नहर से सिंचित रही है, जिसके सबूत में सिंचाई विभाग से जारी बाराबन्दी सूची की फोटोप्रति संलग्न है

(3) कि उक्त भूमि हाल खसरा नं. 487 रकबा 2.87 हैक्टर किस्म चाही भूमि गत खसरा नं. 506 मी भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गत खसरा नं. से नये खसरा नं. दर्ज करते समय भूमि की किस्म जवाई नहरी के स्थान पर गलत रूप से चाही दर्ज की है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व रेकर्ड एवं सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौका रिपोर्ट इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने गत खसरा नं. 506 मी से बने नये खसरा नं. 487 दर्ज करते समय भूमि की किस्म जवाई नहरी के स्थान पर गलत रूप से चाही दर्ज की है। जिसका शुद्धिकरण किया जाना उचित है। जिससे उपरोक्त भूमि में दर्ज किस्म चाही के स्थान पर पूर्व अनुसार जवाई नहरी दर्ज किये जाने के आदेश पटवारी हल्का बलाना एवं तहसीलदार सुमेरपुर को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **07.11.2019** को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2020.02.14 18:16:30 IST
Reason: SelfAttested